भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

X 5 MAR 2014

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE T... EES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

387039

16.5.15

न्यास पत्र

हम कि रेनू सिंह पत्नी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ग्राम व पोस्ट-शंकरपुर तहसील हरैया जिला बस्ती की निवासिनी हूं। हम मुकिर समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करते रहते हैं तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख, शान्ति, आपसी सद्भावना व विश्वास सदाचार, शिक्षा स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूल-भूत आवश्यकताएं, भोजन शिक्षा व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरुप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाईचारा, साम्प्रदायिक ताल-मेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति-पाँति, छूआ-छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच-नीच, की भावना कहीं से भी बाधक न हो। जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न अवसरों में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए ही मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम मुकिर द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत रू0 10000/-(दस हजार) का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है, और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल-अचल सम्पत्ति की हम व्यवस्था करते रहेंगे। हम मुकिर ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को निष्पादित कर रहे हैं, जिसकी व्यवस्था निम्न रूपेण होगी:-

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम " शान्ती देवी आर0एन0 सिंह चेरिटेबुल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट" होगा, जिसे इस न्यास पत्र में आगे " न्यास" अथवा ट्रस्ट कहा जायेगा।
2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय ग्राम-देवखर पो0 अमोढा, तहसील हरैया जिला बस्ती उ0प्र0 में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी, और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मंजकुर

रेनू सिंह

PRINCIPAL
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram Devkhar Chhawani, Basti

MANAGER
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram, Devkhar Chhawani, Basti

2

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। U 279395

3. यह कि हम मुकिर ट्रस्ट मंजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे,तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के संचालन एवं व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं,को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित किया जा रहा है। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को ट्रस्टी कहा जायेगा,जिनकी कुल संख्या 03 से कम तथा 07 से अधिक नहीं होगी। भविष्य में हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विरण निम्नवत् है:-

1. रेनू सिंह पत्नी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ग्राम-पो0 शंकरपुर-बस्ती मुख्य ट्रस्टी
2. महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री रामानन्द सिंह ग्राम-गोपालपुर पो0 पचवस -बस्ती
3. अरविन्द कुमार सिंह पुत्र श्री वृज किशोर सिंह ग्राम-मरहा पो0 बेलारामपुर -प्रतापगढ
4. राजकुमार पुत्र श्री वृज किशोर सिंह ग्राम-मरहा पो0 बेलारामपुर -प्रतापगढ
5. शैलेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री राज बहादुर सिंह-गोण्डा
6. कु0 रोली पुत्री महेन्द्र प्रताप ग्राम-गोपालपुर पो0 पचवस -बस्ती
7. कु0 निधि पुत्री महेन्द्र प्रताप ग्राम- गोपालपुर पो0 पचवस बस्ती

4. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा।

5. यह कि हम मुकिर द्वारा "शान्ती देवी आर0एन0 सिंह चेरिटेबुल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट " के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. समाज के आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक,शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना तथा आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।
3. नव युवक, नवयुवतियों व छात्र-छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक,जूनियर हाई स्कूल,इण्टरमीडिण्ट, व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

रेनू सिंह

अरविन्द कुमार सिंह शैलेन्द्र सिंह

राजकुमार

रेनू सिंह

PRINCIPAL
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram Devkhar Chhawani Basti

MANAGER
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram, Devkhar Chhawani, Basti

3

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ...79394

... जन–जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना,विज्ञान,एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे संबंधित ज्ञान को जिज्ञाशुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।

5. समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाईचारा,साम्प्रदायिक तालमेल, राष्ट्र–भक्ति, राष्ट्रीय एकता,सरकारी सम्पत्तियों के प्रति प्रेम,राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा,प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा,प्रकृति के प्रति प्रेम,राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवकों एवं महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।
6. लिंगभेद,जाति–पांति,छूआ–छूत,धर्म और सम्प्रदाय,ऊँच–नीच की भावना को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण / जागरूकता / सर्वे / लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।
7. शिक्षा प्रचार / प्रसार / विधि शिक्षा / शिक्षा–प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना।
8. समाज / स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए किड केयर, नर्सरी,प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी0जी0 कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के श्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दूकान व आवास का निर्माण कराना।
9. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे–मेडिकल,इंजीनियरिंग,पालीटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेन्टरों की व्यवस्था तथा उससे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।
10. अनुसूचित जाति, जनजाति पिछडे व कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार योजनाओं का प्रबन्ध करना,तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।
11. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे–सिलाई,कढाई,बुनाई,पेंटिंग,स्क्रीनिंग,इलेक्ट्रानिक,वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग,टाइपिंग शार्टहैण्ड, कम्प्यूटरफाइन आर्ट, संगीत एवं इसके अतिरिक्त फल,कुकिंग,बेकरी,एव मशरूम,उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण आदि जैसे केन्द्रों की स्थापना / व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय,अध्ययन कक्ष, छात्रावास,भोजन,वस्त्र,दवा, यातायात,खेल,का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
12. खाद्य प्रसंस्करण जैसे जैम,जेली, मुरब्बा,अचार,केचप,तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

रेनू सिंह

अरविंद कुमार सिंह

शैलेन्द्र सिंह

राज कुमार

PRINCIPAL
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram Devkhar Chhawani, Basti

MANAGER
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram, Devkhar Chhawani, Basti

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13.युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे हैण्डीकाफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, [illegible], कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल-कूद आदि का आयोजन प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।

14.समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे गूंगे, बहरे, अन्धों, अपंग एवं मानसिक रुप से कमजोर बच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों, निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिये विद्यालय छात्रावास का भोजन, वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि। बिना लाभ-हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना आदि।

15.वृद्धों के लिये विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र स्थापना करना, जिसमें मनोरंजन, पढ़ने-लिखने एवं उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा हो।

16.महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता दिलाना।

17.सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात, घर धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर पुस्तकाल, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र, बालबाड़ी ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।

18.सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपड़, औषधियों एवं जड़ी-बूटी वाले पौधों का उत्पादन करना।

19.खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिये बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकारों के आर्थिक सहायता व अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन-जन तक पहुंचाना।

20.विभिन्न प्रकार के खेलों एवं कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके जैसे यूनिसेफ, आई०सी०डी०एस०, नेहरु युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थय विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

21.घरेलू ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी, रोक-थाम, टीकाकरण के लिये युवाओं को प्रेरित/ जागरुक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न कराना।

PRINCIPAL
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram Devkhar Chhawani, Basti

MANAGER
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram, Devkhar Chhawani, Basti

5

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [illegible]540704

22.बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान–मसाला, गांजा–भांग, स्मैक, एल0सी0डी0 या किसी प्रकार के नशा [illegible] लोगों को उनसे होने वाली बीमारियों के प्रति सतर्क करना एवं उनसे छुटकारा पाने के लिये नशा–मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

23.सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा, विभिन्न त्योहारों जैसे होली, दीवाली, दशहरा, मुहर्रम, ईद, बकरीद, अथवा समारोह जैसे शादी, गौना, सालगिरह एवं जन्मदिन पर होने वाले भोजन, धन तथा अनाज के अपव्यय की रोक–थाम हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना।

24.विभिन्न प्रकार के खेल जैसे– योगा, जिम्नास्टिक, जूडो–कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारस्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना। इसके लिये संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिये प्रयास करना।

25.परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र में जागरुकता/प्रशिक्षण, दवा/किट वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा के साथ–साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।

26.एड्स, कैंसर, टी0बी0, कोढ़, मलेरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी /रोकथाम/नियंत्रण/जागरुकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज, मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सीय /पैरा मेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

27.सरकार की सहायता से गांवों एवं शहरों के विकास हेतु पेय–जल, शौचालय नाली, सड़क–निर्माण, खड़ंजा, पिचपार्क, शिविर एवं भवन की व्यवस्था करना। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।

28.कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिये नये–नये वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग कराना तथा नये–नये शोधित बीजों को उगाने तथा उनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिये आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित/जागरुक एवं प्रशिक्षित करना साथ ही कृषि उत्पाद का उन्हें उचित मूल्य दिलाना। तिलहन, दलहन तथा कृषि बागवानी कार्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार/प्रसार करना तथा स्थायी कृषि कार्यक्रमों द्वारा कृषकों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।

29.बन्जर तथा ऊसर भूमि गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, वातावरणीय संरक्षण जल एवं अन्य प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को विकसित करने के लिये योजनाओं को लागू करना।

रेनू सिंह

प्रबन्धक

शान्तिदेवी आर० एन० सिंह

PRINCIPAL

Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy

Shantipuram Devkhar Chhawani, Basti

अरविंद कुमार सिंह

राजकुमार

शैलेश सिंह

रेनू सिंह

MANAGER

Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy

Shantipuram, Devkhar Chhawani, Basti

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [illegible]

30.खेलों को [illegible] के लिये सपोर्ट, ट्रेनिंग सन्टर स्थापित करना तथा युवा वर्ग के [illegible] हेतु व्यायामशालाओं एंव खेल स्टेडियम का निर्माण कराना और इस प्रकार लोगों में खेल भावना जागृत कर विभिन्न खेलों के प्रति जन सामान्य की अभिरुचि उत्पन्न करना तथा खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिये पुरस्कार वितरण की व्यवस्था करना और इस कार्य हेतु कार्यक्रमों को आयोजित करना।

31.तत्काल सुविधा पंहुचाने हेतु सड़क/ट्रेन/बस/दुर्घटना, जख्मी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमार व असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल पंहुचाने के लिये एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने के लिये मोबाइल इमरजेंसी एम्बुलेंस/वैन की व्यवस्था करना।

32.उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।

33.पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी एवं अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरुकता के लिये काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों की कानूनी सहायता की जा सके।

34.गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिये उपाय करना।

35.किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।

36.सरकारी, गैर सरकारी लोगों, संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्रांट गिफ्ट, चल एवं अचल सम्पत्ति सम्मिलित है।

37.सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना।

38.मानव संसाधन भारत सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का संचालन करना।

39.स्वयं सहायता समूह का गठन करना, स्वरोजगार उपलब्ध कराना।

40.डे-केयर सेंटर चलाना, स्वरोजगार उपलब्ध कराना।

41.जन संरक्षण को बढ़ावा देना, तालाब, पोखरा खुदाई कराकर जल संरक्षण हेतु जनता को जागरुक करना।

42.प्रकाशनों के माध्यम से सरकार की भावना को आम जन तक पंहुचाना तथा जनता की भावना सरकार तक पंहुचाना।

रेनू सिंह

अरविंद कुमार सिंह

राज कुमार

PRINCIPAL
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram, Devdhar Chhawani, Basti

MANAGER
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram, Devdhar Chhawani, Basti

7

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [illegible]03

43.[illegible] चल रही संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर इस ट्रस्ट के साथ [illegible] से अंगरकृत कराकर उसका सम्पूर्ण विकास करना तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं को अन्य संस्थाओं को भी अंगीकृत करने का अधिकार ट्रस्ट को प्राप्त होगा।

44.सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी पाठ्यक्रमों का संचालन करना भिन्न–भिन्न स्थानो पर ट्रस्ट द्वारा प्राथमिक से उच्च शिक्षा तथा संस्कृत भाषा के विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं अन्य विश्वविद्यालय से सम्पर्क स्थापित कर उर्दू एवं अन्य भाषाओं में शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना।

45.सुरक्षा गार्ड/सिक्योरिटी गार्ड को प्रशिक्षित कर भिन्न–भिन्न संस्था एवं सामाजिक व्यक्तियों व सार्वजनिक केन्द्रों पर मांग के अनुसार उपलब्ध कराना।

46.दैवी आपदा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिये शहरी एवं ग्रामीण जनता को प्रशिक्षित करना।

47.सरकार के नीतियों को बताकर गांव से शहर के तरफ बढ़ रहे रुझान को रोकना।

6. ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्यः–

1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाइयों के सुचारु व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।
3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारु रुप से संचालन के लिये सीमित पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना।
4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिये विभिन्न प्राविधानों को लिखित रुप मे तैयार करना तथा इसके लिये धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान चन्दा इत्यादि निर्धारित कर उसकी प्रबन्ध इकाइयां गठित करना।
5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिये लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।
6. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख–भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतत् प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।

रेनू सिंह

अरविन्द कुमार सिंह

राजकुमार

शैलेन्द्र सिंह

PRINCIPAL
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram, Devkhar Chhawani, Basti

MANAGER
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram, Devkhar Chhawani, Basti

8

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AZ 540702

7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।

8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों, गौशालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना। इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिये आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना, उनके हित में अन्य कार्यों को करना।

9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैरसरकारी विभागों से दान, उपहार अनुदान ऋण व अन्य स्रोत से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।

10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यों को करना।

11. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की प्रथम परिनियमावली व उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर स्नातक व परास्नातक स्तर पर शैक्षिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस हेतु स्नातक व परास्नातकोत्तर महाविद्यालयों/इन्स्टीच्यूट की स्थापना करना। इस प्रकार स्थापित शैक्षिक संस्थाओं के सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए प्रशासन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी/कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।

12. ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों व इन्स्टीच्यूट की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर समस्त आवश्यक कार्य करना।

7. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था:-

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन-

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रुप से किया जायेगा-

1. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धक हम मुकिम होंगे और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवन काल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। मुख्य ट्रस्टी का यह अधिकार उसके द्वारा वसीयत के माध्यम से अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में अपने उत्तराधिकारी के नियुक्ति किये जाने के पूर्व ट्रस्टी

PRINCIPAL
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram Devkhar Chhawani, Basti

MANAGER
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram, Devkhar Chhawani, Basti

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AZ 549701

की मृत्यु हो जाने पर ट्रस्ट के शेष ट्रस्टियों को मुख्य ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से योग्य व्यक्ति को बहुमत के आधार पर ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी चयनित करने का अधिकार होगा।

2. मुख्य ट्रस्ट के अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य की अक्षमता की अव्यवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रुप में कार्य करने के लिये अधिकृत होगा।

3. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था के लिये ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव, कोषाध्यक्ष के रुप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों का कार्य अधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के उक्त पदाधिकारियों के निर्वाच ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा, ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निवार्चन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी की देख-रेख में कराया जा सकेगा।

4. इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिये मान्य एवं अन्तिम होगा।

5. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी का त्याग-पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा। ऐसी स्थिति में हुई रिक्ति की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा सम्बन्धित ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से ट्रस्ट के प्रति हितैषी भाव रखने वाले किसी व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।

6. ट्रस्ट मण्डल की किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें दो तिहाई बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल की ट्रस्टी के रुप में संयोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार के ट्रस्ट से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे ट्रस्ट मण्डल के सदस्य के रुप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. ट्रस्ट द्वारा संचालित महाविद्यालय के प्रचार एवं शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिये नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

अरविन्द कुमार सिंह

राजकुमार

PRINCIPAL

Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy

Shantipuram Devkhar Chhawani, Basti

MANAGER

Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy

Shantipuram, Devkhar Chhawani, Basti

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेनदेन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिये स्वयं उत्तरदायी होगा।

9. ट्रस्ट के कार्यों के लिये मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मण्डल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किये गये खर्चे व उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यय राशि से सम्बन्धित बिलों व बाउचरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास होगा।

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन:–

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्रचारित तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वार दे दी जाएगी। उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जाएगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक में अनुपस्थित हो सकता है।

2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया कलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

8. मुख्य ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एंव कर्तव्य:–

- इस ट्रस्टी के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के रुप में कार्य करने तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रुप में कार्य करना।
- ट्रस्टी से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
- ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना एवं अन्य अभिलेखों को तैयार करना।
- ट्रस्ट के बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसके सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना।
- ट्रस्ट के चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय–व्यय का हिसाब किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।
- ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल–अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति के विलेखों को हस्ताक्षरित करना।
- ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरुद्ध जाने वाले विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता मुख्तार नियुक्त करना।

अरविंद कुमार सिंह

राजकुमार

PRINCIPAL
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram, Devkhar Chhawani, Basti

MANAGER
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram, Devkhar Chhawani, Basti

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AZ 540699

❖ इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट के मुख्य प्रबन्धक के रुप में ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के अन्य समस्त कार्यों को करना।

❖ ट्रस्ट की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।

❖ ट्रस्ट के आय–व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा परीक्षण करना।

❖ ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारु रुप से रख–रखाव करना।

9. ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था:–

ट्रस्ट के कोष के सुचारु रख–रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम से खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियां एवं ऋण राशियां निहित होगी, ट्रस्ट के नाम से खोले गये खाते का संचालन मुख्य ट्रस्ट द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रुप से किया जायेगा।

10.ट्रस्ट के अभिलेख:–

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रुप से ट्रस्ट के लिये सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर सम्पत्ति रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

11.ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था:–

ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रुप में की जाएगी।

❖ यह कि ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी, जिसे के मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे।

❖ यह कि मुख्य ट्रस्टी की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिये भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। ट्रस्ट मण्डल की सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा।

❖ यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पंहुचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा। ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं व समितियों के

PRINCIPAL
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram Devidhar Chhawani, Basti

MANAGER
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram, Devidhar Chhawani, Basti

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AZ 540698

[illegible] कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गई कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जाएगी।

❖ ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल क निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्ध व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी।

❖ ट्रस्ट के आय–व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु मुख्य ट्रस्टी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।

❖ ट्रस्ट या किसी ट्रस्ट के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी अथवा मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जाएगी।

❖ ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकरियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तो एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। ट्रस्ट मण्डल बहुमत से स्वयं उन कार्यो को करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन कार्य हेतु वेतनिक कर्मचारियों को भी नियुक्त करेगा।

❖ ट्रस्ट मण्डल, ट्रस्ट के लिए वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिये आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

❖ ट्रस्ट के प्रत्येक प्रकार के सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिये ही प्रयोग की जाएगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जाएगी उसके बावत भी यह शर्त लागू होगी।

–घोषणा–

" शान्ती देवी आर०एन० सिंह चेरिटेबुल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट " की तरफ से मैं रेनू सिंह पत्नी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह मुख्य न्यासी के रुप में यह घोषणा करती हूं कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ़ व समझ कर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच–समझ कर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस न्यास का विधिवत गठन हो सके।

PRINCIPAL
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram Devkhar Chhawani, Basti

MANAGER
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram, Devkhar Chhawani, Basti

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AZ 540697

—घोषणा—

" शान्ती देवी आर०एन० सिंह चेरिटेबुल एण्ड एजुकेसनल ट्रस्ट " की तरफ से मैं रेनू सिंह पत्नी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह मुख्य न्यासी के रुप में यह घोषणा करती हूं कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ़ व समझ कर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच–समझ कर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस न्यास का विधियत् गठन हो सके।

रेनू सिंह

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

हस्ताक्षर साक्षीगण:–

1. प्रताप प्रताप सिंह S/o राजेन्द्र कुमार सिंह ग्राम पो० - सिरौली बाबू जि०-बस्ती — राजेन्द्र सिंह

2. अरविन्द कुमार चौधरी S/o राम नरेश चौधरी ग्रा० मुण्डेरवा बस्ती — अरविन्द कुमार सिंह

दिनांक 10-4-2015

राज कुमार

क्रमांक 10

दि० 10-6-2015

PRINCIPAL

Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy

Shantipuram Devkhar Chhawani, Basti

रेनू सिंह

MANAGER

Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy

Shantipuram, Devkhar Chhawani, Basti

57
01/4/15

10/4/15
IV 15
321
346 18

MANAGER
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram, Devkhar Chhawani, Basti

PRINCIPAL
Shanti Devi R.N. Singh Memorial Convent Academy
Shantipuram Devkhar Chhawani, Basti